बिहार सरकार

[redacted]एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सा०नि०/स्था०17–24/2020 1412 /पटना, दिनांकः– 27/04/22

कार्यालय आदेश

श्री तारकेश्वर रजक, तत्कालीन अवर सांख्यिकी पदाधिकारी,जिला सांख्यिकी कार्यालय, बेगुसराय संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुंगेर के विरूद्ध खरीफ विपणन वर्ष 2017–18 में प्रधान मंत्री फसल योजना के तहत भदई मकई के फसल कटनी प्रयोग के गलत अनुसूची के आँकड़े पंजी में अंकित करने एवं निदेशालय को प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्राप्त अनुसूची के बदले दूसरी अनुसूची भेजने से संबंधित गठित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली–2005 के नियम–17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–69 सहपठित ज्ञापांक–687 दिनांक–15.05.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता(विभागीय जाँच), बेगुसराय को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ।

2. श्री तारकेश्वर रजक के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित हैं ।

बेगुसराय जिलान्तर्गत खरीफ वर्ष –2017–18 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत भदई मकई फसल कटनी के प्रयोग में उपज दर की भिन्नता की बात सामने आने पर इस पूरे मामले की जाँच करने हेतु निदेशालय के का०आ०सं०–304 सहपठित ज्ञापांक–1837 दिनांक–12.09.2018 द्वारा जाँच दल का गठन किया गया । जाँच दल द्वारा दिनांक –31.10.2018 को जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इससे निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैः–

(i) बेगुसराय जिलान्तर्गत खरीफ वर्ष 2017–18 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भदई मकई के फसल कटनी प्रयोग के भेजे गये अनुसूची में बछवाड़ा ग्राम के प्लॉट संख्या–170 एवं 998 तथा भगवानपुर ग्राम के प्लॉट संख्या–28 एवं 75 के बीमा कम्पनी के रिपोर्टिंग प्रपत्र में अंकित मकई के बालों का वजन एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को भेजे गये मकई के बालों का वजन में अन्तर पाया गया है जो निम्न प्रकार है :–

प्रखंड	ग्राम/थाना संख्या	चयनित प्लॉट	बीमा कम्पनी के रिपोर्टिंग प्रपत्र पर अंकित कटनी की तिथि एवं मकई के बालों का वजन	जि०सा०पदाधिकारी बेगुसराय के पत्रांक–2114 दिनांक–07.12.17 द्वारा भेजे गये अनुसूची पर अंकित तिथि एवं मकई के बालों का वजन	संबंधित प्र०वि०पदा०/ अंचल अधिकारी के द्वारा जि०सां० पदा० को भेजे गये अनुसूची पर कटनी की तिथि एवं मकई के बालों का वजन	अभ्युक्ति
बछबाड़ा	**बछबाड़ा (1)**	170	27.09.2017	29.07.2017	29.09.2017	अंचल अधिकारी का पत्रांक–1061 दिनांक–01.11.2017
			8.500 किलोग्राम	2.800 किलोग्राम	9.200 किलोग्राम	
		998	27.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	
			17.450 किलोग्राम	3.600 किलोग्राम	14.000 किलोग्राम	

0367 स्था0 1 (का0 आ0) (23 मार्च 2022)तारकेश्वर रजक.

	भगवानपुर (21)	28	14.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	प्र०वि०पदा० का पत्रांक 2439 दिनांक–30.11.2017
			10.300 किलोग्राम	3.700 किलोग्राम	10.300 किलोग्राम	
		75	14.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	
			12.750 किलोग्राम	3.900 किलोग्राम	12.750 किलोग्राम	

(ii) जिला सांख्यिकी कार्यालय, बेगुसराय में फसल कटनी प्रयोग से संबंधित पंजी संधारित है। इन दोनों पंजियों में श्री तारकेश्वर रजक, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा आंकड़ों की प्रविष्टि की गयी है। उल्लेखनीय है कि पहली पंजी में अंकित सूखा वजन के ऑकड़े से कमतर वजन के आंकडे दूसरे पंजी में अंकित है जो ये पुष्टि करता है कि जिला सांख्यिकी कार्यालय के कर्मी श्री सुनील कुमार प्रसाद, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं श्री तारकेश्वर रजक, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष को गैर कानूनी ढंग से मदद किया गया है।

(iii) यह सामान्य प्रक्रिया है कि जब प्रखंड/अंचल से फसल कटनी की अनुसूची जिला सांख्यिकी कार्यालय में प्राप्त होता है तो उसे निदेशालय भेजने से पहले सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/अवर सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा जाँच की जाती है एवं जॉचोपरांन्त ही पंजी में दर्ज किया जाता है । पंजी में Over Writing एवं दूसरी पंजी में पुनः संधारित करना सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं अवर सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा भारी अनियमितता एवं व्यक्ति विशेष से मिलीभगत एवं सांठ–गांठ की पुष्टि करता है।

(iv) निदेशालय के पत्रांक–87 दिनांक–19.01.2018, पत्रांक–163 दिनांक–09.02.2018, पत्रांक–219 दिनांक–27.02.2018 एवं पत्रांक–564 दिनांक–18.06.2018 द्वारा उपज दर की भिन्नता एवं भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड, पटना (A.I.C) की आपत्ति की जाँच एवं निराकरण करने के लिए जिला पदाधिकारी, बेगुसराय को लिखते हुए प्रतिलिपि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को दी गई। जिला सांख्यिकी कार्यालय में संधारित संचिका संख्या–कृषि–61/2017 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त सभी पत्र जिला पदाधिकारी से पृष्ठांकित होकर जिला सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है किन्तु वे सभी पत्र संचिका में यथावत रखे गये हैं। कनीय सांख्यिकी सहायक श्री तारकेश्वर रजक एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी श्री सुनील कुमार प्रसाद द्वारा संचिका न तो जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपस्थापित की गई और न ही तत्कालीन जिला संख्यिकी पदाधिकारी द्वारा कोई पहल की गई। परिणाम स्वरूप इस पर आवश्यक जॉच जिला पदाधिकारी द्वारा नहीं की जा सकी।

(v) श्री तारकेश्वर रजक, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी एवं श्री सुनील कुमार प्रसाद, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने, पंजी में छेड़–छाड़ करने, ओवर राईटिंग करने, कमतर उपज अंकित करने, किसी भी पत्र पर कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित नहीं करने, प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्राप्त अनुसूची को निदेशालय नहीं भेजकर दूसरी अनुसूची भेजने के लिए पूर्णतः दोषी पाये गए।

श्री तारकेश्वर रजक का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के प्रतिकूल है।

3. श्री तारकेश्वर रजक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, बेगुसराय के पत्रांक–1791/रा० दिनांक– 26.04.2021 द्वारा श्री तारकेश्वर रजक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अपने संचालन प्रतिवेदन में निम्न निष्कर्ष दिया है :–

" प्रपत्र 'क' में गठित आरोप, आरोपी कर्मी श्री तारकेश्वर रजक, तत्कालीन अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, बेगुसराय का स्पष्टीकरण एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी –सह– उपस्थापन पदाधिकारी का प्रतिवेदन/मंतव्य एवं बयान और साक्ष्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आरोपी कर्मी श्री तारकेश्वर रजक ने बिना वरीय पदाधिकारी के आदेश प्राप्त किये प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा दिये गये डाटा को कटिंग/ओवर राईटिंग कर पंजी संधारित की गयी साथ ही, बिना आदेश के नया पंजी संधारित की गयी।

अतः पुराने पंजी में ओवर राईटिंग/कटिंग करने एवं नया पंजी संधारित करने का आरोप प्रमाणित होता है।"

4. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) के तहत निदेशालय के पत्रांक–748 दिनांक–06.07.2021 द्वारा श्री तारकेश्वर रजक से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में समर्पित अपने अभ्यावेदन में श्री तारकेश्वर रजक द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

(i) उनके द्वारा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बछवाड़ा एवं अंचल निरीक्षक, बछवाड़ा से प्राप्त प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत भदई मकई फसल कटनी प्रयोग की अनुसूची ही जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक– 2114 दिनांक–07.12.2017 द्वारा निदेशालय को प्रेषित की गई।

(ii) प्रखंड़ सांख्यिकी पदाधिकारी, बछवाड़ा द्वारा संशोधित अनुसूची प्राप्त होने के कारण ही दूसरी पंजी में आंकड़ों का संधारण किया गया।

(iii) आंकडें दर्ज करने में ओवर राईटिंग हो गई, लेकिन इसमें उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गई है, इसे मानवीय भूल कहा गया है।

(iv) निदेशालय द्वारा भेजा गया पत्र पत्रांक–87 दिनांक–19.01.2018, पत्रांक–163 दिनांक–09.02.2018, पत्रांक–219 दिनांक–27.02.2018 एवं पत्रांक–564 दिनांक– 18.06.2018 श्री सुनील कुमार प्रसाद, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय के नाम अंकित उनकी संचिका में था, इस पत्र के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी।

(v) वे अपने पूर्व के भी अभ्यावेदनों में जो सही तथ्य था दिये हैं। उन्हें जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बछवाड़ा एवं अंचल निरीक्षक, बछवाड़ा द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भदई मकई फसल कटनी प्रयोग की जो अनुसूची जिला सांख्यिकी कार्यालय को भेजी गई उन्हें ही उनके द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय से हस्ताक्षर के उपरान्त निदेशालय को प्रेषित किया गया। अपर समाहर्त्ता, बेगुसराय–सह–संचालन पदाधिकारी के समक्ष भी उनके द्वारा सही तथ्यों को रखा गया था।

श्री तारकेश्वर रजक द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को दिये गये अभ्यावेदन में किया गया है। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख अपने अभ्यावेदन में नहीं किया गया है। अभ्यावेदन को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वीकार योग्य नही माना गया।

अतएव श्री तारकेश्वर रजक, तत्कालीन अवर सांख्यिकी पदाधिकारी,जिला सांख्यिकी कार्यालय, बेगुसराय संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुंगेर पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vi) मे किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के साथ 04 (चार) वेतनवृद्धियों पर रोक की शास्तियॉ अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

ह०/–
(बैद्यनाथ यादव)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सा०नि०/स्था०17–24/2020 700 /पटना, दिनांक :– 22/04/22

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

*निबंधित

*2. उप निदेशक (सां०) मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*3. जिला पदाधिकारी, बेगुसराय/मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*4. जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगुसराय/मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय/मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*7. श्री तारकेश्वर रजक, तत्कालीन अवर सांख्यिकी पदाधिकारी,जिला सांख्यिकी कार्यालय, बेगुसराय संप्रति अवर सांख्यिंकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 21/4

0367 स्था० 1 (का० आ०) (23 मार्च 2022)तारकेशवर रजक.

552